

राजस्थान राज्य सहकारी क्रय-विक्रय संघ लि. जयपुर

4, भवानी सिंह रोड, जयपुर -302001

फोन,न.0141-2740203, 2740684

ई-मेल- rrskvsindanegas@gmail.com

ई- निविदा प्रपत्र

वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए राजफेड की गैस एजेन्सी के उपभोक्ताओं को घरेलु सिलेण्डर वितरण कार्य हेतु ऑनलाईन ई-बिड आमंत्रित की जाती है। निविदा की तिथि, समय शर्तें एवं अन्य जानकारी हेतु दिनांक 29.10.2026 से वेबसाइट <http://eproc.rajasthan.gov.in>, www.rajfed.in एवं sppp.rajasthan.gov.in पर देखी जा सकती है। संशोधन/शुद्धिपत्र भी इन्हीं वेबसाइट पर दिया जावेगा।

इंचार्ज गैस

राजस्थान राज्य सहकारी क्रय-विक्रय संघ लि. जयपुर

4, भवानी सिंह रोड, जयपुर –302001

फोन,न.0141-2740203, 2740684

ई-मेल- rrskvsindanegas@gmail.com

घरेलू गैस सिलेण्डरों की आपूर्ति के लिए परिवहन/वितरण हेतु परिवहनकर्ता/फर्मों एवं संवेदको की दर संविदा हेतु ई-निविदा सूचना

वर्ष 2026-27 में जयपुर शहर के घरेलू गैस आपूर्ति के लिए परिवहन/वितरण कार्य किया जाना है। इसके अन्तर्गत जयपुर में विभिन्न एजेन्सियों से उपभोक्ता तक घरेलू गैस सिलेण्डर वितरण एवं खाली सिलेण्डर वापिस एजेन्सी में गोदाम रखने हेतु परिवहन कार्य किया जाना है। इस कार्य को करने हेतु इच्छुक फर्मों/परिवहनकर्ता/संवेदको द्वारा वितरण कार्य दर संविदा द्विप्रकृमी बोली(टू-बिड) प्रणाली से ऑनलाईन किया जाना है। इस हेतु ई-बिड आवेदन पत्र दिनांक 12.11.2026 तक प्रस्तुत किये जाने हैं। आवेदन पत्र का प्रारूप,वितरण कार्य का विवरण एवं कार्य की शर्तें तथा अन्य विवरण दिनांक 29.10.2026 से राजकीय पोर्टल <http:sppp.rajasthan.gov.in>, <http:eproc.rajasthan.gov.in> एवं राजफेड की वेबसाईट [www.rajfed.in](http:www.rajfed.in) पर देखें। संशोधन/शुद्धि पत्र भी वेबसाईट पर दिया जावेगा। आवेदन पत्र व शर्तें उक्त वेबसाईट से डाउनलोड किये जा सकते हैं।

इंचार्ज(गैस)

राजस्थान राज्य सहकारी क्रय-विक्रय संघ लि. जयपुर
4, भवानी सिंह रोड, जयपुर –302001

फोन,न.0141-2740203, 2740684

ई-मेल- rrskvsindanegas@gmail.com

बोली का विस्तृत विवरण :-

क्र.स.	मद	विवरण
1	कार्य की अनुमानित लागत	30 लाख
2	बोली प्रतिभूति राशि (Bid Security) 2 प्रतिशत R.R.S.K.V.S, Jaipur	60,000 रु
3	बोली दस्तावेज शुल्क	2,360 रु(2,000 + 18 प्रतिशत जीएसटी)
4	प्रोसेसिंग फीस (MD, RISL)	500 रु
5	कार्यावधि	एक वर्ष
6	बोली दस्तावेज डाउनलोडिंग अवधि	दिनांक 29.10.2026 को सांय 3.00 बजे से दिनांक 12.11.2026 को प्रातः 11.30 तक
7	बोली दस्तावेज अपलोडिंग की अन्तिम तिथि	12.11.2026 को अपराह्न 1.00 बजे तक
8	बिड प्रतिभूति राशि, बोली दस्तावेज शुल्क एवं प्रोसेसिंग फीस राजफेड में जमा कराने की तिथि	12.11.2026 को अपराह्न 2.00 बजे तक
9	तकनीकी बिड खोलने की तिथि एवं समय	12.11.2026 को अपराह्न 3.30 बजे तक
10	तकनीकी बिड खोलने का स्थान	राजफेड मुख्यालय, जयपुर
11	वित्तीय बिड खोलने की तिथि एवं समय	19.11.2026 को अपराह्न 3.00 बजे तक
12	कार्यादेश जारी करने का संभावित माह	नवम्बर 2026
13	बोली की वैधता	तकनीकी बिड खोलने की तिथि से 90 दिवस

इंचार्ज(गैस)

राजस्थान राज्य सहकारी क्रय-विक्रय संघ लि. जयपुर

4, भवानी सिंह रोड, जयपुर -302001

फोन,न.0141-2740203, 2740684

ई-मेल- rrskvsindanegas@gmail.com

Office	RAJFED,JAIPUR
Name	Rajasthan Rajya Sahkari Kraya Vikraya Sangh Ltd-Gas Section
Account No.	912010033199149
Bank Name	Axis Bank Ltd.Jaipur
IFSC Code	UTIB0000010
Barnch	O-15,Green House, Ashok Marg, C-Scheme, Jaipur-302001

ई-बिड से सम्बन्धित समस्त विवरण, शर्तें एवं बिड फॉर्म पोर्टल <http:sppp.rajasthan.gov.in>, <http:eproc.rajasthan.gov.in> एवं राजफेड की वेबसाईट [www.rajfed.in](http:www.rajfed.in) पर उपलब्ध है।

इंचार्ज(गैस)

राजस्थान राज्य सहकारी क्रय-विक्रय संघ लि. जयपुर

4, भवानी सिंह रोड, जयपुर -302001

फोन, न.0141-2740203, 2740684

ई-मेल- rrskvsindanegas@gmail.com

घरेलू गैस सिलेण्डरों की आपूर्ति के लिए परिवहन/वितरण
हेतु ई-बिड हेतु तकनीकी बिड

**आवेदन पत्र के साथ तकनीकी बिड के मूल्यांकन हेतु निम्नआवश्यक प्रपत्रों की (चैक लिस्ट)
सूची**

क्र. स.	विवरण	ई-बिड कवर	पेज नम्बर
1.	घरेलू गैस सिलेण्डरों हेतु बिड सिक्योरिटी के संबंध में संलग्न पारिशिट 'अ' पर निर्धारित घोषणा पत्र रुपये 50.00 रु. के स्टाम्प पर संलग्न करना है।	कवर-ए	
2.	बोली दस्तावेज का मूल्य 2360.00 रु का RTGS/NEFT के माध्यम से आर.आर.एस.के.वी.एस के पक्ष में देय होगा।	कवर ए	
3.	बिड प्रोसेसिंग फीस राशि 500.00 रु. का RTGS/NEFT के माध्यम से आर.आर.एस.के.वी.एस के पक्ष में देय होगा।	कवर ए	
4.	आयकर स्थायी खाता (पैन कार्ड) की फोटो प्रति।	कवर-ए	
5.	जीएसटी पंजीयन की फोटो प्रति	कवर-ए	
6.	आधार कार्ड एवं वोटर आई.डी.की प्रति	कवर-ए	
7.	ई.एस.आई के पंजीयन की फोटो प्रति अथवा आवेदन के साक्ष्य की प्रति	कवर-ए	
8.	बिजली के बिल की प्रति	कवर-ए	
9 .	दो सम्मानित व्यक्तियों से सत्यापित चरित्र प्रमाण पत्र	कवर-ए	
10.	यदि साझेदार फर्म है तो साझेदारी प्रपत्र की प्रति एवं फर्म द्वारा अधिकृत व्यक्ति का अधिकार पत्र संलग्न किया जाना आवश्यक है।	कवर-ए	
11.	गैस वितरण हेतु स्वयं के साधन काविवरण (वाहन के पंजीकरण की फोटो प्रति) संलग्न करें।	कवर-ए	
12.	बोली लगाने वाला सत्यनिष्ठ संहिता की अनुपालना एवं हित का विरोध नहीं होने का प्रपत्र (परिशिष्ट-ब)	कवर-ए	
13.	बोलीदाता की अनुभव प्रमाण पत्र की प्रति	कवर-ए	
14.	उपापन प्रक्रिया के दौरान शिकायत निवारण प्रक्रिया (परिशिष्ट-स)	कवर-ए	
15.	अनुबन्ध की अतिरिक्त शर्तें (परिशिष्ट-द)	कवर-ए	
16.	जयपुर शहर की गैस एजेन्सीयों से उपभोक्ता तक सिलेण्डरों का विवरण एवं खाली सिलेण्डर वापिस एजेन्सी गोदाम में जमा कराने हेतु घरेलु गैस सिलेण्डरों की आपूर्ति हेतु परिवहन/वितरण की प्रस्तावित दरों का विवरण(पृथक-पृथक) (BOQ) पत्र	कवर बी	
17.	वित्तीय प्रस्तावों की निर्धारित शर्तें (परिशिष्ट-‘क’)		

राजस्थान राज्य सहकारी क्रय-विक्रय संघ लि. जयपुर

4, भवानी सिंह रोड, जयपुर -302001

फोन,न.0141-2740203, 2740684

ई-मेल- rrskvsindanegas@gmail.com

घरेलू गैस सिलेण्डरों की आपूर्ति के लिए परिवहन/वितरण हेतु ई-निविदा के लिये आवेदन पत्र

राजस्थान राज्य सहकारी क्रय-विक्रय संघ लि.,
4 भवानी सिंह रोड,
जयपुर।

महोदय,

मैंने/हमने गैस एजेन्सी से उपभोक्ता तक एवं खाली सिलेण्डर वापिस एजेन्सी गोदाम तक घरेलू गैस सिलेण्डर के परिवहन कार्य हेतु बिड के लिए आप द्वारा जारी किया गया आमंत्रण पत्र, दिशा-निर्देश एवं शर्तों (टर्म्स एंड कंडीशनस) को पढ़ व समझ लिये है। मैं/हम इन सभी दस्तावेज की शर्तों को मानने के लिए बाध्य हूँ।/है। मैं/हम जयपुर शहर के लिए वितरण कार्य के लिए आवेदन प्रस्तुत कर रहा हूँ।

(आवेदनकर्ता के हस्ताक्षर)

दिनांक :-

फर्म/आवेदक का नाम :-

पता :-

.....

.....

ठेकेदार/परिवहनकर्ता/फर्म का विवरण

1. कारोबार का नाम :-

1. यदि आवेदनकर्ता एकाकी स्वामी
(सोल प्रोपराईटर है तो स्वामी का
नाम पिता के नाम सहित) :-
2. यदि आवेदनकर्ता अविभक्त हिन्दू परिवार है,
तो परिवार के कर्ता का नाम :-
3. शैक्षणिक योग्यता
(प्रमाण पत्र प्रति संलग्न करें।) :-

2. यदि आवेदनकर्ता भागीदारी संस्था (पार्टनरशिप फर्म) है तो :-

- (अ) फर्म का नाम :-
- (ब) रजिस्ट्रेशन का पूरा नाम :-
- (स) भागीदारी के नाम, पता :-
- (भागीदारी के दस्तावेज, पार्टनरशिप डीड की फोटो स्टेट प्रतिलिपि संलग्न करें)

3. यदि आवेदनकर्ता सहकारी संस्था है तो :-

पंजीयन के प्रमाण पत्र (रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट) की प्रतिलिपि तथा इस कार्य के करने के अधिकार हेतु इस समिति के प्रस्ताव की एक प्रति संलग्न की जावे :-

4. गैस वितरण हेतु स्वयं के साधन का विवरण :-

(वाहन पंजीकरण की फोटो प्रति संलग्न करें)

5. वितरण वाहन का पंजीकरण जनवरी 2018 के पश्चात् अवधि का होना चाहिये :-

6. स्थानीय पता :-

1. डाक का पूरा पता(फोटो प्रति संलग्न करें):-
2. दूरभाष/मोबाईल संख्या (कार्यालय) :-
- (निवास) एस.टी.डी. (कोड सहित) :-

7. (अ) आयकर स्थाई खाता संख्या (पैन संख्या):-

(पैन संख्या की छाया प्रति संलग्न की जाए)

(ब) वोटर कार्ड एवं आधार कार्ड की प्रति(आवश्यक)

(स) जी.एस.टी. पंजीयन संख्या :-

(जी.एस.टी. पंजीयन प्रमाण -पत्र की छाया प्रति

अथवा आवेदन के साक्ष्य की राशि की प्रति)

(द) ई.एस.आई रजिस्ट्रेशन नम्बर

ई.एस.आई पंजीकरण प्रमाण पत्र की छायाप्रति अथवा आवेदन के साक्ष्य की प्रति

8. सिलेण्डरों की 60,000 रु सुरक्षा राशि (अर्नेस्ट मनी) का डिमाण्ड ड्राफ्ट आर.आर.एस.के. वी.एस. जयपुर के पक्ष में देय होगा। (ड्राफ्ट संख्या..... दिनांक राशि)
9. ई- निविदा प्रोसेसिंग शुल्क राशि रुपये 500 /- (दो हजार पांच सौ नम्बरे रु मात्र) का डिमाण्ड ड्राफ्ट MD, RISL के पक्ष में देय होगा का विवरण :- (डिमाण्ड ड्राफ्ट संख्या..... दिनांक..... राशि.....)
10. बोली दस्तावेज शुल्क 2,360 रु का ड्राफ्ट आर.आर.एस.के.वी.एस. जयपुर के पक्ष देय होगा का विवरण :- (डिमाण्ड ड्राफ्ट संख्या..... दिनांक..... राशि.....)

नोट:- आप पर जो मद लागू हो, उस पर सही का चिन्ह लगाकर दरें अंकित कर अपने हस्ताक्षर कर दे और जो लागू नहीं होती हों उसे काट दे। कृपया कोई भी कॉलम खाली न छोड़ें।

दिनांक:

आवेदनकर्ता के हस्ताक्षर
फर्म/आवेदक का नाम एवं पता

बिड सिक्योरिटी घोषणा पत्र

दिनांक :-

बिड संख्या :-

हम घोषणा करते हैं कि :-

आपकी नियम व शर्तों एवं बिड के साथ संलग्न बिड सिक्योरिटी घोषणा पत्र अनुसार, इस बिड में शामिल शर्तों के अनुसार बिड सिक्योरिटी राशि निम्न कारणों से चुकाने की सहमति देते हैं -

- A. यदि बिड खुलने के पश्चात हमारे द्वारा बिड वापस लेने अथवा संशोधन करने पर।
- B. कार्यादेश जारी होने की निर्धारित अवधि में हमारे द्वारा करार पत्र निष्पादन नहीं कराने पर।
- C. निर्धारित अवधि में हमारे द्वारा माल की आपूर्ति में असहमत होना अथवा आई.ओ.सी.के जारी निर्देशों की पालना नहीं करना।
- D. कार्यादेश प्राप्त होने पर करार पत्र निष्पादन के साथ निर्धारित कार्य निष्पादन प्रति भूति जमा नहीं कराने पर।
- E. नियमानुसार संलग्न सत्यनिष्ठ संहिता का उल्लंघन/हित का विरोध नहीं होने का प्रमाण पत्र की पालना नहीं करने पर।

उपरोक्त के अतिरिक्त राजफेड (गैस शाखा) द्वारा हमें किसी भी उपापन/आपूर्ति प्रक्रिया से आरटीपीपी एक्ट 2012 एवं नियम 2013 के अनुसार धारा 11 एवं 46 के अधिकतम 3 वर्षों के लिए बाहर/ब्लैक लिस्ट किया जा सकता है एवं बिड सिक्योरिटी/निष्पादन प्रतिभूति जब्त की जा सकती है।

हस्ताक्षर बोलीदाता

नाम :-

सील : ----- पद..... दिनांक :

Compliance with the Code of Integrity and No Conflict of Interest

Any person participating in a procurement process shall -

- A. not offer any bribe, reward or gift or any material benefit either directly or indirectly in exchange for an unfair advantage in procurement process or to otherwise influence the procurement process;
- B. not misrepresent or omit that misleads or attempts to mislead so as to Obtain a financial or other benefit or avoid an obligation;
- C. not indulge in any collusion, Bid rigging or anti-competitive behavior to impair the transparency, fairness and progress of the procurement process.
- D. not misuse any information shared between the procuring Entity and the Bidders with an intent to gain unfair advantage in the procurement process.
- E. not indulge in any coercion including impairing or harming or threatening to do the same, directly or indirectly, to any party or to its property to influence the procurement process.
- F. not obstruct any investigation or audit of a procurement process.
- G. disclose conflict of interest, if any; and
- H. disclose any previous transgressions with any Entity in India or any other country during the last three years or any debarment by any other procuring entity-

Conflict of interest :-

The Bidder participating in a bidding process must not have a Conflict of Interest.

A Conflict of interest is considered to be a situation in which a party has interests that could improperly influence that party's performance of official duties or responsibilities; contractual obligations; or compliance with applicable laws and regulations i.e. A Bidder may be considered to be in Conflict of interest with one or more parties in a bidding process if, including but not limited to;

- a. have controlling partners shareholders in common; or
- b. receive or have received any direct or indirect subsidy from any of them; or
- c. have the same legal representative for purposes of the the Bid;or
- d. have a relationship with each other, directly or through common third parties, that puts them in a position to have access to information about or influence on the Bid of another Bidder, or influence the decisions of the procuring Entity regarding the bidding process; or
- e. the Bidder participates in more than one Bid in a bidding process. Participation by a bidder in more than one Bid will result in the Disqualification of all bids in which the Bidder is involved. However, this Does not limit the inclusion of the same subcontractor, not otherwise Participating as a Bidder, in more than one Bid; or
- f. the Bided or any of its affiliates participated as a consultant in the preparation of the design or technical specifications of the of the Goods, that are the subject of the Bid; Breach of code of Integrity by the bidder in case of breach of any provision of the code of integrity by a bidder or prospective bidder, as the case maybe, rajfed may take appropriation action in accordance with the Provision of sub section(3) of section IInd and section 46 under chapter VIth of thir Act

Signature

Grievance Redressal during Procurement Prossess

The designation and address of the First Appellate Authority is M.D. Rajfed, jaipur. The designation and address of the Second Appellate Authority is Administrator Cooperative Societies Govt. of Rajasthan, jaipur,

(1) filling an appeal

If any Bidder or prospective Bidder is aggrieved that any decision, action or omission of the Procuring Entity is in contravention to the provisions of the Act or the Rules or the guidelines issued there under, he may file an appeal to first Appellate Authority, as specified in the Bidding Document within a period of ten days from the date of such decision or action, omission, as the case may be, clearly giving the specific ground or ground on which he feels aggrieved: provided that after the declaration of a Bidder as successful the appeal may be filed only by a Bidder who has participated in procurement proceedings: provided further that in case a Procuring Entity evaluates the Technical Bids before the opening of the Financial Bids, an appeal Related to the matter of Financial Bids may be Filed only by a Bidder

Whose technical Bid is found to be acceptable.

(2) The officer to whom an appeal is filed under para(1) shall deal with the appeal as expeditiously as possible and shall endeavor to dispose it of within thirty days from the date of the appeal.

(3) If the officer designated under para(1) fails to dispose of the appeal Filed within the period specified in para(2), or if the bidder or prospective bidder or the procuring Entity is aggrieved by the order passed by the First Appellate Authority, the Bidder or prospective bidder or the Procuring Entity, as the case may be, may file a second appeal to second Appellate Authority specified in the Bidding Document in this behalf within fifteen days from the expiry of the period specified

in para(2) or of the date of receipt of the order passed by the First Appellate Authority, as the case may be.

(4) Appeal not to lie in certain cases No appeal shall lie against any decision of the procuring Entity Relating to the Following matters, namely :-

- (a) determination of need of procurement;
- (b) provision limiting participation of Bidder in the Bid process;
- (c) the decision of whether or not to enter into negotiations;
- (d) cancellation of a procurement process;
- (e) applicability of the provisions of confidentiality.

(5) form of Appeal

(a) An Appeal under para (1) or (3) above shall be in the annexed Form along with as many copies as there are respondents in the Appeal.

(b) Every appeal shall be accompanied by an order appealed against, if any affidavit verifying the facts stated in the appeal and proof of payment of fee.

(c) every appeal may be presented to first Appellate Authority or Second Appellate Authority, as the case may be, in person or through registered post or authorized representative.

(6) fee for filing appeal

(a) fee for first appeal shall be rupees two thousand five hundred and for second appeal shall be rupees ten thousand, which shall be non-refundable.

(b) The fee shall be paid in the form of bank demand draft or Banker's cheque of a Scheduled bank in India payable in the name of Appellate Authority concerned.

(7) Procedure for disposal of appeal

(a) The First Appellate Authority or second Appellate Authority as the case may be, upon filing of appeal, shall issue notice accompanied by copy of appeal, affidavit and documents, if any, to the respondents and fix date of hearing.

(b) On the date fixed for hearing, the first Appellate Authority or second Appellate Authority as the case may be shall,-

- (i) hear all the parties to appeal present before him; and
- (ii) peruse or inspect document, relevant records or copies there of relating to be matter.
- (c) After hearing the parties, perusal or inspection of Document and relevant records or copies there of Relating to the matter, the Appellate Authority concerned shall pass an order in writing and provide the copy of order to the parties to appeal free of cost.
- (d) the order passed under clause (c) above shall also be Placed on the State Public Procurement Portal.

signature

परिवहन निविदा की शर्तें

1. प्रत्येक परिवहनकर्ता के आवेदन फार्म के साथ घरेलू सिलेण्डर हेतु 30,000 रु व अघरेलू हेतु 30,000 रु अर्नेस्ट मनी राशि का बैंक ड्राफ्ट एवं बोली दस्तावेज शुल्क 2,360 रु का बैंक ड्राफ्ट आर.आर.एस.के.वी.एस., जयपुर के पक्ष में तथा प्रोसेसिंग फीस 500 रु बैंक ड्राफ्ट MD, RISL के पक्ष में जमा करवाना होगा। सफल बोलीदाता फर्म को अनुबंध से पूर्व घरेलू गैस सिलेण्डर के एक लाख रु एवं अघरेलू सिलेण्डर हेतु एक लाख रु की किसी बीमा कम्पनी से राजफेड के पक्ष फिडिलिटी गारंटी देनी होगी। जमा राशि पर राजफेड द्वारा कोई ब्याज नहीं दिया जावेगा।
2. सफल बोलीदाता को अनुबंध से पूर्व 10 प्रतिशत परफोरमेन्स सिक्योरिटी राशि के रूप में (अर्नेस्ट मनी को समायोजित करते हुए) आर.आर.एस.के.वी.एस.एस, जयपुर के पक्ष में जमा करवाना होगा।
3. किन्ही दो अलग-अलग सम्मानीय व्यक्तियों से सत्यापित चरित्र प्रमाण-पत्र संलग्न किया जाना होगा।
4. प्रत्येक परिवहनकर्ता को अनुभव प्रमाण पत्र के रूप में किसी गैस एजेन्सी का एक वर्ष का वितरण कार्य करने का अनुभव प्रमाण पत्र देना होगा।
5. प्रत्येक परिवहनकर्ता को हिन्दी में लिखने-पढ़ने एवं मोबाईल का ज्ञान आवश्यक है।
6. प्रत्येक परिवहनकर्ता को नियुक्ति किये गये डिलीवरी मैन को इण्डियन ऑयल द्वारा निर्धारित वर्दी में वितरण कार्य करना होगा एवं राजफेड के द्वारा दिये गये परिचय पत्र एवं स्वयं का मोबाईल फोन साथ में रखना होगा। आई.ओ.सी.द्वारा निर्धारित वर्दी, तोलने का कांटा, मोबाईल फोन एवं फॉयर इक्यूमेन्ट गाडी में डिलीवरी मैन के स्वयं के खर्च पर रखना आवश्यक होगा।
7. डिलीवरी मैन द्वारा रखे गये कर्मचारी को इण्डियन ऑयल द्वारा निर्धारित वर्दी में आना होगा तथा परिचय पत्र, कांटा एवं मोबाईल चालु हालत में साथ रखना होगा एवं इसकी सूचना राजफेड को देनी होगी। राजफेड द्वारा इस संबंध में कोई भुगतान देय नहीं होगा।
8. यदि आवेदनकर्ता को किसी भी एजेन्सी द्वारा किसी गलत कार्य हेतु आरोपित किया गया है अथवा ब्लैक लिस्ट किया गया है तो ऐसे व्यक्ति आवेदन नहीं करें यदि करते हैं एवं तथ्य का राजफेड को पता चलता है, तो सिक्योरिटी राशि जब्त करली जावेगी एवं अनुबन्ध निरस्त कर दिया जायेगा।
9. परिवहनकर्ता द्वारा प्रतिदिन 30 सिलेण्डर से अधिक घरेलू सिलेण्डर की सप्लाई करनी होगी।
10. प्रत्येक परिवहनकर्ता को इण्डियन ऑयल तथा राजफेड के द्वारा समय-समय पर जारी किये गये निर्देशों की पालना की जानी होगी।
11. सिलेण्डर को पंजीकृत उपभोक्ता के स्थान पर किसी अन्य के यहाँ लगाने पर एवं सुपुर्द करने पर प्रति सिलेण्डर 2,000 रु. अर्थदण्ड देना होगा।
12. एक माह में तीन बार से अधिक उपरोक्त क्र.स. 10 एवं 11 के अनुसार गलती दोहराने पर अनुबन्ध समाप्त करने एवं सिक्योरिटी राशि जब्त करने का अधिकार राजफेड का होगा।
13. आई.ओ.सी. द्वारा कभी भी जाँच करने पर किसी भी प्रकार की शिकायत पाये जाने पर लगाये जाने वाले दण्ड को परिवहनकर्ता द्वारा वहन किया जावेगा। (जैसे डम्पिंग, कम तौल

और लीकेज आदि) दण्डित राशि की वसूली में परिवर्तन करने का अधिकार राजफंड को होगा।

14. रसद विभाग अथवा आई.ओ.सी.एल.के अधिकारियों द्वारा पोइन्ट पर चैकिंग की जाने पर लगाई जाने वाली दण्डनीय शास्ती एवं अन्य कोई कार्यवाही के लिए भी परिवहनकर्ता उत्तरदायी रहेगा। ऐसे प्रकरणों में शिकायत पाए जाने पर भविष्य के लिए राजफंड द्वारा ब्लैक लिस्टेड घोषित कर दिया जावेगा एवं सिक्योरिटी राशि जब्त की जाएगी।
15. संघ के गैस गोदाम से प्राप्त गये 14.2 किग्रा एल.पी.जी के भरे सिलेण्डर को पंजीकृत ग्राहकों को आपूर्ति कर खाली सिलेण्डर संघ के गोदाम में सौंपेंगे। तब तक परिवहनकर्ता द्वारा अपनी जिम्मेदारी में बतौर अमानत सुरक्षित रखें जावेंगे। सिलेण्डर गुम हो जाने पर परिवहनकर्ता से प्रति घरेलू सिलेण्डर रुपये 2,100 रु वसूल किये जायेंगे।
16. वितरण के लिये प्राप्त किये जाने वाले खाली एल.पी.जी सिलेण्डरों के नम्बर मिलाकर (चैक कर) प्राप्त किये जावेंगे एवं बदले में प्राप्त खाली सिलेण्डर के नम्बर लिखकर कार्यालय में सिलेण्डरों को जमा करवाते समय पर्ची व कूपन साथ में जमा करानी होगी।
17. राजफंड द्वारा जो रिफिल परिवहनकर्ता को दी जावेगी वह उसी दिन अथवा अधिक से अधिक अगले दिवस गैस उपभोक्ता के सामने सील चैक करवाकर एवं गैस लीक/सही वजन की जाँच कराकर सही हालत में लगानी होगी अन्यथा खराब हालत में लगाने व देरी होने की स्थिति में होने वाली हानि की जिम्मेदारी परिवहनकर्ता की होगी।
18. खाली सिलेण्डरों के नम्बर मिलान कर लिखकर गोदाम कीपर को संभलवाना होगा एवं गैस बिक्री की सम्पूर्ण राशि कार्यालय में अगले दिन 12 बजे तक जमा करानी होगी अन्यथा 200 रु अर्थदण्ड प्रति दिवस के रूप में वसूल किया जावेगा साथ ही आगामी आपूर्ति जारी नहीं की जाएगी। राशि समय पर जमा न कराने की स्थिति में परिवहनकर्ता की जमा सिक्योरिटी राशि जब्त कर ली जावेगी। यदि फिर भी परिवहनकर्ता की ओर बकाया रह जाती है, तो अनुबन्ध की शर्तों के अनुसार मय ब्याज वसूली करते हुए नियमानुसार कार्रवाई अमल में लायी जावेगी।
19. सिलेण्डर गोदाम से प्राप्त करने के पश्चात एक स्थान पर इक्ठे नही किये जावेंगे एवं प्रत्येक उपभोक्ता के निवास स्थान पर जाकर सिलेण्डर वितरण कार्य किया जावेगा।
20. पंजीकृत उपभोक्ता को सप्लाई देकर ब्ल्यू बुक में प्रविष्टि अनिवार्य होगी, साथ ही प्राप्ति रसीद उपभोक्ता से हस्ताक्षरित प्राप्ति रसीद के प्राप्त कूपन संलग्न कर लौटाना होगा।
21. ब्ल्यू बुक में प्रविष्टि अनिवार्य होगी यदि ब्ल्यू बुक में 3 प्रविष्टि नहीं पायी जाती है, तो प्रत्येक के लिये 500 रु अन्य शास्ती के अलावा वसूल किये जावेंगे। 24 सिलेण्डर सही स्थिति में यथा जाँच कर तौलकर उपभोक्ता के यहाँ अपने साधन से सप्लाई किये जावेंगे व तौलने के लिये तुलाई हेतु इण्डियन ऑयल द्वारा निर्धारित उपकरण परिवहनकर्ता का स्वयं का होगा।
22. परिवहनकर्ता के द्वारा स्वयं का एवं परिवहन कार्य नियुक्त किये गये डिलीवरी मैन् को नाम एवं पता चरित्र प्रमाण पत्र, फोटो एवं मोबाईल नम्बर आदि का विवरण दिया जाना होगा।
23. प्रत्येक ठेकेदार को आवंटित क्षेत्र में बदलाव का अधिकार गैस इंचार्ज के विवेक पर निर्भर होगा।
24. गैस वितरण का कार्य आई.ओ.सी.एल तथा राजफंड द्वारा समय-समय पर जारी दिशा-निर्देशों के अनुरूप तथा निर्धारित समयावधि में किया जावेगा।

25. सिलेण्डर सप्लाई के उपयोग में लिये जाने वाले वाहन पर इण्डियन ऑयल द्वारा निर्धारित रंग होगा एवं शब्द अंकित रहेंगे, जो अपने खर्च पर कराना होगा गाडी का निर्धारित समय पर पोल्युशेन एवं फिटनेस जाँच करवाना अनिवार्य होगा।
26. परिवहन कार्य हेतु प्राप्त किसी भी निविदा को स्वीकार करने अथवा निरस्त करने का पूर्ण अधिकार प्रबंध निदेशक, राजफेड का रहेगा।
27. परिवहन कार्य हेतु किये जाने वाले अनुबंध की किन्ही शर्तों की पालना में उत्पन्न होने वाले विवाद की स्थिति में निपटारे हेतु न्यायालय का कार्य क्षेत्र जयपुर होगा। सिविलीटी राशि वाद का निपटारा होने पर ही लौटायी जायेगी।
28. राजफेड द्वारा परिवहन कार्य के लिए भुगतान की जाने वाली राशि में से नियमानुसार आयकर व अन्य लागू करों की कटौती की जावेगी।
29. यदि परिवहनकर्ता को गैस वितरण में अनियमितता करने पर इण्डियन ऑयल, जिला रसद अधिकारी, पुलिस अधिकारी एवं जिला प्रशासन के द्वारा दोषी पाया गया तो ऐसी स्थिति में होने वाली कानूनी कार्यवाही के लिये परिवहनकर्ता स्वयं जिम्मेदार होगा। इस हेतु देय कानूनी फीस परिवहनकर्ता से वसूल की जावेगी।
30. यदि किसी कारणवश परिवहनकर्ता वितरण कार्य हेतु स्वयं उपस्थित नहीं हो सकता है, तो राजफेड गैस प्रभारी को पूर्व में सूचित करते हुये वैकल्पिक व्यवस्था के रूप में अन्य किसी दूसरे परिवहनकर्ता की व्यवस्था करेगा। जिसकी पूरी जिम्मेदारी परिवहनकर्ता की होगी।
31. गैस वितरण कार्य करने की अवधि अनुबंध की दिनांक से एक वर्ष की होगी। राजफेड द्वारा इस अवधि को नियमानुसार 3 माह हेतु बढ़ाया जा सकता है।
32. कार्य अवधि से पूर्व छोड़ने अथवा कार्य में अनियमितता पाये जाने पर नियमानुसार जमा प्रतिभूति राशि जब्त कर ली जावेगी।
33. उक्त शर्तों की सहमति बाबत 500 रु के नाने-ज्यूडिसियल स्टॉम्प पेपर पर स्वयं के खर्चों पर अनुबंध किया जाना होगा। मूल अनुबंध राजफेड के पास रहेगा एवं परिवहनकर्ता को उसकी फोटो प्रति दी जावेगी।
34. अन्य नियम व शर्तें राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम 2012 एवं नियम, 2013, सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम के प्रावधान के अधीन तथा आई.ओ.सी.एल की जारी गाईडलाईन के अनुसार होगी।
35. अघरेलू/वाणिज्यिक गैस सिलेण्डर शब्द का जहां भी इस निविदा में प्रयोग हुआ है, उससे तात्पर्य 19.0 किलो अघरेलू गैस सिलेण्डर से है।
36. शर्तें अनुबंध के अनुसार लागू होगी, जिसमें किसी प्रकार के परिवर्तन का अधिकार राजफेड में निहित होगा।

हस्ताक्षर परिवहनकर्ता

घरेलू गैस सिलेण्डर की गैस एजेंसी से उपभोक्ता व खाली सिलेण्डर उपभोक्ता से एजेंसी गोदाम तक के वितरण चार्ज के लिए परिवहन/वितरण की प्रस्तावित दरों हेतु वित्तीय बोली।

राजस्थान राज्य सहकारी क्रय-विक्रय संघ लि. जयपुर

4, भवानी सिंह रोड, जयपुर –302001

फोन,न.0141-2740203, 2740684

ई-मेल-.....

वित्तीय बोली प्रस्ताव

कार्य का विवरण.....

परिवहनकर्ता/ठेकेदार/फर्म का नाम

प्रस्तावित दर प्रति सिलेण्डर

विवरण	14.2 किग्रा(घरेलू)	19.0 किग्रा(अघरेलू)
सिलेण्डर गैस एजेंसी से उपभोक्ता को वितरण एवं खाली सिलेण्डर उपभोक्ता से गैस एजेंसी गोदाम तक पहुंचाने का कार्य परिवहन/वितरण दर (अक्षरों में)	अंकों में.....	अंकों में.....
	शब्दों में.....	शब्दों में.....

(*) कृपया दर प्रस्तावित करने से पूर्व निम्न शर्तों को आवश्यक रूप से पढ़ कर एवं समझ कर आवेदन पत्र में दर प्रस्तावित की जाएं। प्रस्तावित दर में कोई भी संशोधन/काट छांट होने पर निविदा निरस्त की जा सकती है प्रस्तावित दरों के अंको एवं शब्दों में अन्तर होने पर शब्दों में लिखी गयी दर को ही अंतिम माना जावेगा।

(**) घरेलू सिलेण्डर के साथ-साथ अघरेलू सिलेण्डर की वित्तीय बोली में प्रस्तावित दर भरना अनिवार्य है अन्यथा निविदा निरस्त मानी जावेगी।

हस्ताक्षर निविदादाता

शर्त का विवरण संलग्न है :-

पी.टी.ओ

अनुबंध पत्र का प्रारूप

यह अनुबंध पत्र आज दिनांक श्री
..... पुत्र श्री
निवासी
.....
.....

प्रथम पक्ष परिवहनकर्ता

बहक

राजस्थान राज्य सहकारी क्रय-विक्रय संघ लि., 4 भवानी सिंह रोड, जयपुर,
राजस्थान के हित में निम्न प्रकार लेखबद्ध किया जाता है।

द्वितीय पक्ष

परिवहन निविदा की शर्तें एवं विवरण

प्रस्तावित बिड की/दर हेतु शर्तें

1. परिवहनकर्ताओं को घरेलू गैस सिलेण्डरों को परिवहन एवं वितरण किए जाने की दरें प्रस्तावित किया जाना आवश्यक होगा।
2. घरेलू गैस सिलेण्डरों की आपूर्ति हेतु प्राप्त बिडदाताओं की प्रस्तावित वितीय दरों में न्यूनतम दरों (एल-1) पर नेगोशियेशन कर (यदि आवश्यक हो तो) समिति द्वारा निर्णय के आधार पर समस्त सफल बिड दाताओं को प्राप्त न्यूनतम दरों (एल-1) पर सिलेण्डरों की आपूर्ति करने का प्रस्ताव दिया जाएगा। अन्य बिडदाताओं से प्राप्त सहमति के आधार पर न्यूनतम दरों पर इन फर्मों को कार्यादेश जारी किया जाएगा।
3. घरेलू गैस सिलेण्डरों के ठेकेदारों को मासिक रूप से न्यूनतम 50 घरेलू सिलेण्डरों की आपूर्ति करना आवश्यक होगा।
4. वितीय बिड में प्रस्तावित दरों के अतिरिक्त ठेकेदार फर्म को कोई भुगतान नहीं किया जाएगा।

हस्ताक्षर निविदादाता